



कार्यालय: प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुन्द्रा,  
सीमाशुल्क भवन, मुन्द्रा बंदरगाह, कच्छ, गुजरात- 370421  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS:  
CUSTOM HOUSE, MUNDRA PORT, KUTCH, GUJARAT- 370421.  
PHONE : 02838-271426/271423 FAX :02838-271425

F.No. CUS/AG/MISC/2174/2022-A/G-O/o Pr Commr-Cus-Mundra Date:29-08-2025

**DIN-20250871MO000000F6CD**

To,  
M/s. Sunflex Recycling Pvt. Ltd,  
Plot No274/4, 8/11 Satyamev Complex,  
Opp. Gujarat High Court, S.G Highway,  
Sola. Ahmedabad, Gujarat 380060

सेवा में

एम/एस. . सनफ्लेक्स रीसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड,  
प्लॉट संख्या 274/4, 8/11 सत्यमेव कॉम्प्लेक्स,  
गुजरात उच्च न्यायालय के सामने, एस.जी. हाईवे,  
सोलन, अहमदाबाद, गुजरात 380060

**Gentleman**

**Sub: Application for Direct Port Delivery (DPD)-m/reg  
GSTIN-24AATCS0192F1Z8**

Please refer to your application for grant of permission for Direct Port Delivery (IEC- 0813007364) for your goods arriving at Mundra Port. In this regard, it is informed that permission for Direct Port Delivery from Mundra Port is being accorded subject to the following:-

कृपया मुंद्रा पोर्ट पर आने वाले अपने माल के लिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (आईईसी-0813007364) की अनुमति के लिए अपने आवेदन का संदर्भ लें। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मुंद्रा पोर्ट से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है।

- (i) The DPD procedure mentioned in Public Notice No. 52/2017-18 dated 28.03.2018 and Public Notice No. 15/2019-20 dated 09.09.2019. And any other instructions / SOP issued in this regard shall be followed.  
सार्वजनिक सूचना संख्या 52/2017-18 दिनांक 28.03.2018 और सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2019-20 दिनांक 09.09.2019 में उल्लिखित डीपीडी प्रक्रिया और इस संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश / एसओपी का पालन किया जाएगा।
- (ii) LCL containerized cargo consignment would be EXCLUDED from this facility.  
एलसीएल कंटेनरीकृत कार्गो खेप को इस सुविधा से बाहर रखा जाएगा।
- (iii) FCL containerized cargo that are subjected to the examination in terms of extant policy are excluded from this facility.

एफसीएल कंटेनरीकृत कार्गो, जो मौजूदा नीति के अनुसार जांच के अधीन हैं, उन्हें इस सुविधा से बाहर रखा गया है।

(iv) This facility of DPD shall be extended / applicable only to such consignments which have either been fully RMS facilitated and not subjected to the examination.

डीपीडी की यह सुविधा केवल ऐसे माल पर लागू होगी जो या तो पूरी तरह से आरएमएस सुविधायुक्त हो तथा जिसकी जांच नहीं की गई हो।

(v) If the Cargo requires NOC/Test report from PGAs i.e. FSSAI/PPO/AQPC etc., before Out-of-Charge from Customs, then the cargo would have to be shifted to CFS for examination / drawing of samples of cargo by the PGAs., DPD permission is not applicable.


यदि कार्गो को सीमा शुल्क से बाहर होने से पहले पीजीए यानी एफएसएसएआई/ पीपीक्यू/ एक्यूपीसी आदि से एनओसी/परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो कार्गो को पीजीए द्वारा कार्गो के नमूने की जांच/ड्राइंग के लिए सीएफएस में स्थानांतरित करना होगा। डीपीडी की अनुमति लागू नहीं होती है।

(vi) DPD permission may be withdrawn by the competent authority at any time in case of failure for adherence to conditions or for any violation.

शर्तों का पालन न करने या किसी उल्लंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय डीपीडी की अनुमति वापस ली जा सकती है।

This issues with the approval of Assistant Commissioner (AG), Custom House, Mundra.

यह सहायक आयुक्त (एजी), कस्टम हाउस, मुंद्रा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
29/08/23  
(विनोद कुमार मीणा)

अधीक्षक (ए. जी),

सीमा शुल्क सदन, मुन्द्रा,

Copy to:-

1. The Deputy Commissioner, Dock Examination, Custom House, Mundra.
2. The Deputy Commissioner (EDI), Custom House, Mundra
3. M/s APSEZ Terminal, Room No. 305, PUB, Mundra Port.
4. M/s MICT Terminal, Mundra Port.